फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

1. मघाराम पुत्र लाभूराम जाट निवासी गजरूपदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

बनाम

1. भोमाराम, बुधाराम, मु. जीया पिसरान लाभूराम जाट निवासी गजरूपदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

किस्म मुकदमा : 06/20114 अंतर्गत धारा–75 एल.आर. एक्ट
(जीसीएमएस संख्याः 2011/00037)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। यह अपील तहसीलदार राजस्व नोखा के आदेश दिनांक 14.12.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन चल रही है, जिसमें रेस्पोन्डेंट सं. 1, 3 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 05.07.2011 से पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आज दिनांक तक रेस्पोन्डेंट सं. 1, 3 के निमित सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन उनके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं. 1, 3 के निमित सम्मन प्रस्तुत नहीं किये। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः यह अपील अपीलान्ट अदम तकमील में खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित हो। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 1/4/24 (वन्दना सिंघवी) संभागीय आयुक्त, बीकानेर	